न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील/रसद/09/2020

बच्चूसिंह उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत नैवाड़ा भाग 1/2 तहसील भुसावर जिला भरतपुर ।

.....अपीलान्ट

बनाम

जिला रसद अधिकारी भरतपुर।

.....रेस्पोडेण्ट

अपील विरुद्ध आदेश जिला रसद अधिकारी भरतपुर दि0 02.07.2020 प्रकरण संख्या 70/2019 सरकार बनाम बच्चूसिंह अन्तर्गत धारा 22 खाद्य सुरक्षा अधिनियम ।

निर्णय **दिनांक 03.03.2021**

अपीलाण्ट ने यह अपील जिला रसद अधिकारी भरतपुर के आदेश दिनांक 02.07.2020 से व्यथित होकर प्रस्तुत की है। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट के अनुज्ञापत्र को निरस्त किये जाने एवं जमाशुदा प्रतिभूति राशि जब्त सरकार किये जाने की आज्ञा पारित की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट एवं तहत पत्रावली तलव की गई। तहत पत्रावली प्राप्त होने पर संलग्न मिसल है।

पत्रावली पर योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया है कि तहत न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का कोई मौका ही नहीं दिया । अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत पारित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई के लिए दिनांक 11.02.2020 तारीख पेशी दी थी । इसके बाद कोरोना महामारी के कारण तीन माह तक पत्रावली में न तो कोई तारीख नियत की गई और न ही कोई कार्यवाही की गई । दिनांक 21.05.2020 को पत्रावली से तलव कर बिना अपीलान्ट को नोटिस जारी किये सुनवाई शुरू

.....02

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०

की गई और अपीलान्ट की अनुपस्थिति दर्ज कर दिनांक 02.07.2020 को पत्रावली का निर्णय कर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया, जो वैधानिक रूप से उचित नहीं है। अभिभाषक अपीलान्ट ने यह भी कथन किया है कि प्रवर्तन निरीक्षक ने वक्त जांच न तो अपीलान्ट को सूचित किया और न ही दुकान का निरीक्षण किया । मात्र सरपंच के निवास पर बैठकर रिपोर्ट तैयार की गई है। निरीक्षणकर्ता द्वारा मौके पर न कोई फर्द मौका बनाई गई और न ही उपभोक्तओं के पृथक से बयान आदि लिए गए हैं । पार्टी बंदी के आधार पर झूंठी शिकायत प्रस्तुत कर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। अभिभाषक अपीलान्ट का यह भी कथन है कि अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट पर यह आरोप कारित किया गया है कि उसने माह जुलाई एवं अगस्त 2019 का खाद्य सुरक्षा के गेंहूँ का वितरण उपभोक्ताओं को प्रति माह न कर एक साथ किया गया है तथा पोस मशीन पर दो बार बॉयोमैट्रिक सत्यापन कर केवल एक माह के गेंहूँ का वितरण किया गया है, स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है क्योंकि आज के समय में राशन डीलर के लिए यह सम्भव नहीं है कि उपभोक्ताओं से दो माह का कह कर और हस्ताक्षर लेकर एक माह का राशन वितरण किया जावे। अपीलान्ट की दुकान व गोदाम पर स्टॉक भी नहीं मिला । पोस मशीन के अनुसार जितना स्टॉक होना चाहिए था उतना ही स्टॉक अपीलान्ट के पास था। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा मौके पर कोई जांच नहीं की गई । अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

पैरोकार रसद ने अपनी बहस में जाहिर किया है कि अपीलान्ट को सुनवाई का पूरा मौका देकर निर्णय पारित किया गया है। उपभोक्ताओं की शिकायत पर प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा मौके पर जाकर जांच की गई और जांच में अनियमितता पाये जाने पर पहले अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया और बाद में आरोप सही पाये जाने पर उसका प्राधिकार पर निरस्त किया गया है। अपीलाधीन आदेश सही पारित किया गया है । पैरोकार रसद ने अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई है ।

हमने अभिभाषक अपीलान्ट एवं पैरोकार रसद द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। तहत न्यायालय की पत्रावली में संलग्न फर्द मौका के अवलोकन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि वह एक ही स्थान पर बैठ कर तैयार की गई है। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा डीलर की दुकान पर उपलब्ध राशन सामग्री के आवंटन/वितरण से सम्बन्धित कोई जांच नहीं की गई है। इस बावत कोई भी जांच रिपोर्ट व उपभोक्ताओं के बयान आदि पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है और न ही प्रवर्तन निरीक्षक की निरीक्षण फर्द पत्रावली में संलग्न है। इसके अतिरिक्त पत्रावली सुनवाई हेतु दिनांक 11.02.2020 को नियत थी । इसके बाद पत्रावली में

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०

.....3

तीन महीने तक कोई कार्यवाही नहीं हुई । दिनांक 21.05.2020 को पत्रावली कार्यालय से तलव कर सुनवाई शुरू की गई है किन्तु इस पुनः सुनवाई हेतु अपीलान्ट को तहत न्यायालय द्वारा कोई नोटिस आदि भी नहीं दिया गया है जबकि कानूनी प्रावधानों के तहत अपीलान्ट को सुनवाई का मौका देना चाहिए था । अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है,जो विधि विरूद्ध है। हमारे न्यायिक मत में अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य रहती है ।

अतः आदेश है कि

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.07.2020 अपास्त किया जाकर पत्रावली पुनः सुनवाई के लिए जिला रसद अधिकारी,भरतपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि वे अपीलान्ट को सुनवाई व साक्ष्य का पूर्ण अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति के साथ तहत पत्रावली वापस जिला रसद अधिकारी भरतपुर को भेजी जावे।

निर्णय आज दि0 03.03.2021 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर
भरतपुर